न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 24/2021

बनाती बाई पुत्री गणेश जाति कीर निवासी सोनवां तह0 मांगरोल हाल निवास नारायणपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

.......वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादनी : श्री दया कृष्ण धाकड़

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

दायरा दिनांक: 05.02.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 133 खसरा नं0 10 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 17 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 6 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 7 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 9 रकबा 0.33 है0 कुल किता 9 रकबा 5.13 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम बनाती बाई के स्थान पर बनासी दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम बनातीबाई है। जिसको वादनी बनासी के स्थान पर बनातीबाई दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि में बनाती बाई दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में बनासी के स्थान पर बनातीबाई दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम बनासी के स्थान बनातीबाई दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 05.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल की ओर से पटवारी पटवार मण्डल सोनवां ने उपस्थित होकर दिनांक 22.09.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार बनासी बाई पुत्री गणेश जाती कीर को बनाती पुत्री गणेश कीर के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही महीला के हे अन्य

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त महिला बनासी पुत्री गणेश कीर व बनाती पुत्री गणेश कीर एक ही महिला के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त महिला का नाम बनासी बाई पुत्री गणेश कीर के स्थान पर बनासी बाई उर्फ बनाती पुत्री गणेश कीर सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादनी स्वयं व अमरलाल पुत्र रूघनाथ जाति कीर निवासी सोनवां के आधार पर आराजी खाता संख्या 133 खसरा नं0 10 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 17 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 263 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 6 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 7 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 8 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 9 रकबा 0.33 है0 कुल किता 9 रकबा 5.13 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम बनासी बाई पुत्री गणेश कीर के स्थान पर बनासी बाई उर्फ बनातीबाई पुत्री गणेश दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner